झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (वाद सं0) 11/2019– 140

प्रेषक,

मदन मोहनपति त्रिपाठी,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 20.2.2020

विषय– झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा वाद सं0–11/19 में पारित अंतिम न्यायादेश की प्रति प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा वार्ड नं0–45 के वार्ड पार्षद श्री नसीम गद्दी से प्राप्त शिकायत (वाद सं0–11/19) के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया है।

अतः आयोग द्वारा पारित आदेश कि प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि पारित न्यायादेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.2.2020

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

न्यायादेश

दिनांक 05/03/2019 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री नसीम गद्दी, वार्ड पार्षद, वार्ड नं०–45 द्वारा शिकायत मिली थी कि वार्ड नं०–45 में आठ आंगनबाड़ी केन्द्र है जिनमें से सात बंद रहते हैं। उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए वाद संख्या 11/2019 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रांची को प्रतिवादी बनाया गया। मामले में आयोग द्वारा विभिन्न तिथियों को हुई सुनवाई के क्रम में यह बात सामने आई कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में विगत एक वर्ष से चावल नहीं मिल रहा है।

दिनांक 28/08/2019 को सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि नवम्बर 2018 से जुलाई 2019 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों में हॉट कुक मील नहीं मिला है, इस पर आयोग द्वारा समाज कल्याण पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई। दिनांक 06/11/2019 को हुई सुनवाई में विगत दो वर्षों में रांची सदर में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में किन–किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कब–कब पोषाहार बाधित रही, से संबंधित प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा समर्पित की गई। पुनः दिनांक 06/01/2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रांची सदर से वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कब कब पोषाहार बाधित रही, इससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक 21/01/2020 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में वैसे बच्चे जो आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित थे किन्तु चावल प्राप्त नहीं रहने के कारण जिन्हें हॉट कुक मील नहीं दिया गया, इनकी विवरणी निम्नरूपेण प्रतिवेदित है:–

क्रमांक	अवधि	केन्द्रों की संख्या, जिसमें पोषाहार बाधित रही	बच्चों की उपस्थिति, जिन्हें पोषाहार नहीं दिया गया
1	प्रथम तिमाही (अप्रैल 2018 से जून 2018 तक)	344	8500
2	द्वितीय तिमाही (जुलाई 2018 से सितम्बर 2018 तक)	328	7901
3	तृतीय तिमाही (अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक)	107	2348
4	चतुर्थ तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक)	77	4551

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) वैसे बच्चे जो आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित थे किन्तु चावल प्राप्त नहीं रहने के कारण हॉट कुक मील नहीं दिया गया, इनकी विवरणी निम्नरूपेण प्रतिवेदित है :–

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

क्रमांक	अवधि	केन्द्रों की संख्या, जिसमें पोषाहार बाधित रही	बच्चों की उपस्थिति, जिन्हें पोषाहार नहीं दिया गया
1	प्रथम तिमाही अप्रैल 2019 से जून 2019 तक	338	8065
2	द्वितीय तिमाही (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 तक)	0	शून्य
3	तृतीय तिमाही (अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 तक)	0	शून्य

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 में यह प्रावधान है कि **"हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होंगे जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और रीति से संदाय किया जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।"**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–20.02.2017 के भाग–3 कण्डिका–8 (1) के अनुसार "In case of non-supply of meal to the beneficiaries in Anganwadi Centre on any day to non-availability of food grains or any other reason, the State Governments or Union territory Administrations shall pay food security allowance as defined in clause (d) of rule 2 to every beneficiary referred to in rule 3 as per rates specified in rule 11''

विषयांकित मामले में निःसन्देह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5 की उपधारा–1 (क) का उल्लंघन हुआ है एवं मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–20.02.2017 के भाग–3 कण्डिका–8 (1) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2576 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार HCM (मध्याह्न भोजन) हेतु प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत 3.99रू0 एवं खाना पकाने इत्यादि हेतु व्यय 0.13रू0 की राशि निर्धारित है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नियमानुसार गणना के उपरांत यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अवधि (वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) में जो बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित थें एवं जिनको चावल नहीं रहने के कारण पोषाहार नहीं दिया गया, ऐसे बच्चों को निर्धारित HCM (मध्याह्न भोजन) से समतुल्य (रू0 3.99 प्रति मील की दर से) खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान की जाय, जिसकी गणना वर्षवार निम्नवत् है। साथ ही खाना पकाने इत्यादि हेतु व्यय की अनुमान्य राशि रू० 0.13 प्रति मील औसत लागत के आधार पर एवं बाल विकास परियोजना

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

पदाधिकारी, राँची, सदर के कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिमाह कार्य दिवस की औसत संख्या 24 मानते हुए, निम्नवत् गणना के अनुसार सभी बच्चों को भुगतान किया जाय :–

वर्ष 2018–19

	प्रथम तिमाही (अप्रैल 2018 से जून 2018 तक)	द्वितीय तिमाही (जुलाई 2018 से सितम्बर 2018 तक)	तृतीय तिमाही (अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक)	चतुर्थ तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक)	कुल (वर्ष 2018–19)
आ0के0 में बच्चों की कुल सं0	9,130	8,873	8,812	8,706	35,521
उपस्थित बच्चों की कुल सं0, जिन्हें चावल उपलब्ध नहीं रहने के कारण हॉट कुक मील नहीं दिया गया	8,500	7,901	2,348	4,551	23,300
HCM (मध्याह्न भोजन) की राशि (उपस्थित बच्चों की संख्या × कार्यदिवस × 3.99 Rs)	24,41,880	22,69,799.3	6,74,533	13,07,411	66,93,624
खाना पकाने इत्यादि हेतु व्यय की अनुमान्य राशि की गणना (उपस्थित बच्चों की संख्या × कार्यदिवस × 0.13 Rs.)	79,560	73,953.36	21,977.28	42,597.36	2,18,088
कुल राशि (वर्ष 2018–2019)					**रू0 69,11,712.00**

वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

	प्रथम तिमाही (अप्रैल 2019 से जून 2019 तक)	द्वितीय तिमाही (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 तक)	तृतीय तिमाही (अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 तक)	कुल (वर्ष 2019–20)
आ0के0 में बच्चों की कुल सं0	8,549	8,404	8,432	25,385
उपस्थित बच्चों की कुल सं0, जिन्हें चावल उपलब्ध नहीं रहने के कारण हॉट कुक मील नहीं दिया गया	8,065	0	0	8,065
HCM (मध्याह्न भोजन) की राशि (उपस्थित बच्चों की संख्या × कार्यदिवस × 3.99 Rs)	23,16,913	0	0	23,16,913
खाना पकाने इत्यादि हेतु व्यय की अनुमान्य राशि की गणना (उपस्थित बच्चों की संख्या × कार्यदिवस × 0.13 Rs.)	75,488.4	0	0	75,488.4
कुल राशि (वर्ष 2019–2020)				**रू0 23,92,401.00**

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त राशि बच्चे की माँ के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाय। अगर बच्चे की माँ नहीं है तो बच्चे के पिता के बैंक खाता में राशि का हस्तांतरण किया जाय।

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया/दस्तावेजीकरण तथा लाभार्थी का नाम एवं हस्तांतरित की गयी राशि से संबंधित सूची राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय में समर्पित किया जाय।

हस्तांतरण का कार्य एक माह के अंदर करते हुए इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जाय।

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु आदेश की प्रति दें।

Ranjana 12/2/2020.

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

12-2-20

(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261